न्यायालय : जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।

जमानत आवेदन संख्या–107 / 21.

दिनांकः–01.06.2021

काराधीन अभियुक्त–1. अजय सिंह की ओर से पूर्व में दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान् अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार ने संचालित किया जिस पर उनको तथा प्रभारी विद्वान् लोक अभियोजक श्री दिलीप कुमार को सुना। यह वाद तरियानी थाना कांड़ संख्या–235 / 20 अंतर्गत धारा–307, 323, 324, 325, 341, 379, 504 / 34 भा.द.वि. से सम्बन्धित है। आवेदक अभियुक्त दिनांक–12.04.2021 से कारा में है।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.11.2020 को समय करीब आठ बजे सूचक रघपति सिंह अपने दरवाजा निकौनी एवं साफ–सथुरा कर रहा था, इसी बीच उसके ग्रामीण अजय सिंह, अशोक सिंह, चंदन कुमार, चमन कुमार, अंकित कुमार अपने–अपने हाथ में लोहा का रड, फरसा, लाठी लेकर आ गये और गाली–गलौज करते हुए बोलने लगे कि हमलोगों पर केला काटने का गलत आरोप क्यों लगाया है, जिस पर सूचका बोला कि मैंने किसी का नाम लेकर आरोप नहीं लगाया है, उसी बात पर अजय सिंह अपने हाथ में लिए फरसा से सूचक के माथा पर जान मारने के नियत से चलाया, जो सूचक के माथा पर बायें तरफ लगा जो कटकर खून बहने लगा तथा सूचक जमीन पर गिर गया। चिल्लाहट के आवाज पर सूचक के पुत्रगण बीच–बचाव करने आये तो उन्हें भी सभी अभियुक्तगण द्वारा लोहे के रड एवं फरसा से मारकर जख्मी कर दिया गया। जख्मी हालत में सूचक तथा उनके पुत्रगण को ग्रामीणों द्वारा इलाज के लिए नारायण अस्पताल, शिवहर लाया गया। इसी आधार पर कांड अंकित हुआ।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष हैं, जिन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदन का जमानत जमानत अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, द्वितीय, शिवहर के न्यायालय से खारिज होने के पश्चात् इस जमानत आवेदन के अलावा दूसरा कोई जमानत आवेदन श्रीमान् के न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। लगाया गया आरोप झूठा, मनगढ़त एवं बेबुनियाद है। इन्हें ग्रामीण गंदी राजनीति के कारण इस वाद में फंसाया गया है। वास्तविकता यह है कि आवेदक एवं सूचक पड़ोसी है तथा सूचक के द्वारा लगाया गया केला का पौधा फेलकर युद्वविजय सिंह के जमीन में बढ़कर चला गया है, केला का पेड़ गया तथा जिसमें लगा फल युद्वविजय सिंह काटकर ले गये तब सूचक को शंका हुआ कि आवेदक का भाई ही केला गिरने की खबर युद्वविजय सिंह को किया, इसी बात पर सूचक एवं उनके लड़के अपने हाथ में रड, लाठी, डंडा, ग्रील का छड़, फरसा लेकर आवेदक के दरवाजे पर पहुॅचकर आवेदक एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ विभिन्न अपराध कारित किया और जख्मी कर दिया जिसको लेकर आवेदक के बड़े भाई द्वारा तरियानी थाना कांड संख्या–234 / 20 वाद के सूचक वो0 के विरूद्व दर्ज कराया है, जिसकी सच्ची प्रतिलिपि की छाया–प्रति जमानत आवेदन के साथ संलग्न है। इसी मुकदमा पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से सूचक ने यह झुठा मुकदमा निजी अस्पताल में जाकर जख्म प्रतिवेदन प्राप्त कर दर्ज कराया है। जहॉ तक धारा–307, 324 एवं 379 भा0द0वि0 का प्रश्न है, यह मामले को गंभीर बनाने के उद्देश्य से लगाया गया है। आवेदक पर फरसा से सूचक को माथा पर जान मारने की नियत का आरोप वास्तविकता से परे है। आवेदक अभियुक्त दिनांक–12.04.2021 से कारा में है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

प्रभारी विद्वान लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करते हैं, परन्तु यह कथन करते हैं कि उभय पक्षों में वाद एवं प्रतिवाद हैं एवं जख्मियों के जख्म साधारण प्रकृति के हैं।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। आवेदक अभियुक्त पर सूचक के माथा पर फरसा से वार करने की बात कही जाती है। वाद दैनिकी की कंडिका–9 पर साक्षी टूटू महतो, कंडिका–10 पर साक्षी नन्दन कुमार, कंडिका–33 पर साक्षी प्रमोद कुमार सिंह,, कंडिका–34 पर साक्षी इन्द्रजीत पासवान का बयान है जिन्होंने घटना का समर्थन किया है। वाद दैनिकी पर जख्मियों के जख्म का चिकित्सकी जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि चिकित्सक ने सूचक के जख्म को साधारण प्रकृति का पाया है, जबकि कुछ जख्मियों के जख्म को ग्रिवियस बताया है लेकिन वे जख्म शरीर के किसी महत्वपूर्ण हिस्सें पर नहीं पाया है। उभय पक्षों में वाद एवं प्रतिवाद है, जिसके लिए जमानत आवेदन के साथ तरियानी थाना कांड संख्या–234 / 20 की छाया–प्रति संलग्न की गई है। आवेदक अभियुक्त दिनांक–12.04.2021 से कारा में है। वाद में अनुसंधान अभी जारी है।

लगातार /

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, विवेचित तथ्यों, वाद की प्रकृति, जख्म की प्रकृति, आवेदक अभियुक्त की कारा अवधि, वाद के अनुसंधान के प्रक्रम तथा कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्त—1. अजय सिंह को सम्बन्धित न्यायिक दंड़ाधिकारी के संतुष्टियोग्य दो प्रतिभुओं के साथ मो0—10,000/—दस हजार रूपये का जमानत बंध—पत्र निष्पादित किये जाने पर दं.प्र.सं.की धारा—437(3) के शर्तो के अधीन इस शर्त पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि —

1. आवेदक अभियुक्त इस आशय का शपथ—पत्र दाखिल करेंगे कि वह इस तरह के अपराध की भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करेंगे तथा समाज में शांति एवं सौहार्द बनाये रखेंगे।

लेखा.एवं शद्धि.
ह0/—

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
01.06.2021